भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3524

13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहल की स्थिति

†3524. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पहल की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य-वार विशेषकर तमिलनाडु में ब्यौरा क्या है;
(ख) इस पहल के अंतर्गत स्थापित स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों (एचडब्ल्यूसी), स्वास्थ्य शिविरों और आउटरीच केंद्रों की संख्या कितनी है तथा इनके माध्यम से कितनी आबादी को शामिल किया गया है;
(ग) देश के ग्रामीण और शहरी समुदायों में बीमारियों का जल्द पता लगाने, निवारक स्वास्थ्य सेवा और जागरूकता पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर को आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी मौजूदा स्वास्थ्य योजनाओं के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) इस पहल के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी, शिकायत निवारण और फॉलो-अप देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, दिनांक 31.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार देश भर में उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को मजबूत करके 1,83,879 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) संचालित किए जा चुके हैं। तमिलनाडु सहित देश भर में संचालित एएएम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक में संलग्न है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्गम क्षेत्रों सहित दूरदराज के स्थानों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य शिविर जैसी पहल भी लागू की है। वर्तमान में, आयुष्मान आरोग्य शिविर, देशव्यापी स्वास्थ्य मेलों/शिविरों की तरह, अप्रैल, 2024 से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एएएम पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल, 2024 से 31 जनवरी, 2026 तक एएएम में 56.53 लाख से अधिक स्वास्थ्य मेले आयोजित किए गए हैं, जिनमें कुल 35.14 करोड़ लोगों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत, देश में सामान्य गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए एक जनसंख्या-आधारित पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत शुरू की गई है। दिनांक 17.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार, एनपी-एनसीडी पोर्टल के मुताबिक, सभी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में उच्च रक्तचाप के 40.87 करोड़, मधुमेह के 40.68 करोड़, मुख कैंसर के 34.71 करोड़, स्तन कैंसर के 16.24 करोड़ और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के 8.73 करोड़ मामलों की जांच की जा चुकी है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहल, जो पहले आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र कार्यक्रम था, आयुष्मान भारत योजना का पहला स्तंभ है और सभी नागरिकों के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा को बदलने हेतु एक महत्वपूर्ण घटक है। इनका कार्यान्वयन और वित्त पोषण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के माध्यम से किया जाता है।

एनएचएम के तहत, प्रशिक्षण और मान्यता में कमियों सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समीक्षा बैठकों, प्रमुख सेवा प्रदायगियों (डिलीवरेबल्स) की मध्यावधि समीक्षा, वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्र दौरों, सेवा प्रदायगी के लिए मानदंड स्थापित करके निष्पादन को बढ़ावा देने और उपलब्धियों को पुरस्कृत करने आदि के माध्यम से की जाती है। इस योजना के तहत प्रगति और कार्यान्वयन स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) वार्षिक रूप से आयोजित किए जाते हैं।

जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के आकलन को सुगम बनाने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक ओपन डेटा किट (ओडीके) विकसित की है, जो एक एंड्रॉइड-आधारित एप्लिकेशन है। इसके माध्यम से राज्यों

और संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों का आधारभूत आकलन करने, कमियों की पहचान करने और सभी आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने के लिए अनुपालन सुनिश्चित करके तथा वांछित मानकों की दिशा में कार्य करके समय पर सुधारात्मक उपाय लागू किए जाते हैं।

जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है।

सरकार आयुष्मान भारत पहल के अंतर्गत एएएम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी शिकायत निवारण के एक सुव्यवस्थित निगरानी एवं समीक्षा तंत्र के माध्यम से करती है। लाभार्थी केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) सहित उपयुक्त माध्यमों से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिनकी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समयबद्ध तरीके से जांच की जाती है और उनका समाधान किया जाता है।

अनुलग्नक

दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संचालित एएएम की संख्या:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संचालित एएएम की कुल संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	129
2	आंध्र प्रदेश	11,871
3	अरुणाचल प्रदेश	511
4	असम	4,962
5	बिहार	12,371
6	चंडीगढ़	60
7	छत्तीसगढ	5,898
8	दिल्ली	289
9	दमन और द्वीव तथा दादरा और नगर हवेली	95
10	गोवा	306
11	गुजरात	10,713
12	हरियाणा	3,272
13	हिमाचल प्रदेश	2,794
14	जम्मू एवं कश्मीर	3,168
15	झारखंड	4,157
16	कर्नाटक	10,131
17	केरल	7,188
18	लद्दाख	321

19	लक्षद्वीप	13
20	मध्य प्रदेश	12,686
21	महाराष्ट्र	13,107
22	मणिपुर	420
23	मेघालय	624
24	मिजोरम	412
25	नागालैंड	485
26	ओडिशा	7,375
27	पुदुचेरी	133
28	पंजाब	3,311
29	राजस्थान	12,990
30	सिक्किम	184
31	तमिलनाडु	8,506
32	तेलंगाना	5,044
33	त्रिपुरा	1,132
34	उत्तर प्रदेश	23,407
35	उत्तराखंड	2,358
36	पश्चिम बंगाल	13,456
कुल		**1,83,879**
